Date : 5 मई 2023

आपसी सहमति से तलाक और अनुच्छेद 142

संदर्भ- सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर तलाक को मंजूरी दे सकती है। यदि विवाह बिना किसी पारिवारिक अदालत के पहले पक्षों को संदर्भित किए बिना टूट जाता है, तो उस परिस्थिति में यह निर्णय प्रभावी हो सकता है।
इसके साथ ही सामान्य तौर पर विवाह के असाध्यता के आधार पर तलाक की स्थिति में कोई भी पक्ष अनुच्छेद 32 के आधार पर विघटन में राहत की मांग के लिए रिट जारी नहीं कर सकता।

आपसी सहमति से तलाक

वह परिस्थिति जब पति पत्नी दोनों इस तथ्य से सहमत होते हैं कि वे एक साथ नहीं रह सकते और दोनों के भविष्य के लिए तलाक ही एकमात्र विकल्प है। इसके तहत वे एक दूसरे पर कोई भी आरोप लगाए बिना तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

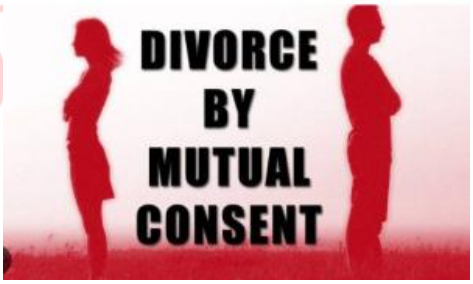

कानूनी प्रावधान

विवाह को भंग करने की शक्ति – न्यायालय के शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस के निर्णय के अनुसार दंपति के बीच सुलह की गुंजाइश न रहने की स्थिति में न्यायालय के पास विवाह को भंग करने की शक्ति प्राप्त हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955- सामान्यतः तलाक की याचिका के बाद न्यायालय द्वारा याचकों को 6 माह की अवधि का समय दिया जाता है कि यदि विवाह को बनाए रखने की गुंजाइश हो तो तलाक को रोका जा सके। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार यदि एक पक्ष भी तलाक के पक्ष में हो और सुलह की कोई गुंजाइश न हो तो न्यायालय विवाह को भग करने की अनुमति दे सकता है।

तलाक की सामान्य प्रक्रिया

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(b) के अनुसार न्यायालय आपसी सहमति के तलाक को मंजूरी देने से पूर्व निम्न प्रक्रिया का पालन करती है-

- आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए दंपति को एक साथ जिला अदालत में याचिका दायर करनी होती है कि वे एक वर्ष से अधिक समय से एक साथ नहीं रह रहे, और आगे भी एक साथ नहीं रह सकते। इस तथ्य से दोनों पक्ष सहमत है कि उन्हें विवाह विच्छेद कर लेना चाहिए।

- याचिका की प्रस्तुति के बाद याचिकाकर्ताओं को अदालत में दूसरी तारीख 6 माह के बाद या उक्त तारीख के 18 माह बाद दी जाती है। इसका उद्देश्य याचिकाकर्ताओं को आत्मनिरीक्षण करने व निर्णय पर फिर से विचार करने का समय देना होता है। इस अवधि(6 माह) को कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहा जाता है।
- 6 माह के बाद भी यदि याचिका वापस न ली जाए और अदालत को विश्वास हो कि याचिका में दिए गए सभी तथ्य सत्य हैं तो वह याचिका को मंजूरी दे सकता है। अर्थात न्यायालय तलाक को सत्यापित कर सकता है।

तलाक से पूर्व न्यायालय निम्न तथ्यों की जांच करता है-

- विवाह के बाद का समय, जिसमें दंपति साथ रह रहे हों।
- साथ न रहने की समयावधि।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा एक दूसरे के परिवारों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति
- व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव
- कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश।
- न्यायालय द्वारा विवादों को सुलझाने हेतु किए गए प्रयासों की संख्या और प्रकृति ।

संविधान का अनुच्छेद 142

अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत –

- संविधान सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिक्री प्रदान करता है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय हेतु निर्णय दे सकता है।
- यह निर्णय उन मामलों में दिया जा सकता है जहां संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है।

वर्तमान निर्णय की समीक्षा

वर्तमान निर्णय का प्रत्यक्ष प्रभाव अदालती कार्यवाहियों की लंबी प्रक्रिया की अवधि में कमी लाएगा। इसके साथ ही अदालतों में वर्षों से लंबिक मामलों का जल्द निपटान किया जा सकेगा।

विवाह से संबंधित मामलों सहित अन्य कानूनी मामलों का निपटान जल्द से जल्द हो सकेगा, जिससे अदालतों के बार में कमी आएगी।

तलाक की याचिका देने के बाद अदालत के संतुष्ट होने के बाद तलाक में राहत के लिए रिट याचिका दायर नहीं की जा सकेगी, अतः यदि यदि दोनों में से कोई भी पक्ष यदि संबंध विच्छेद की प्रक्रिया को रोकना चाहता है तो वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। अर्थात इस निर्णय से विवाह विच्छेद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

कूलिंग ऑफ पीरियड की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी, जिन मामलों में कूलिंग ऑफ पीरियड से विवाह विच्छेद के मामले कम होने की संभावना हो सकती है, वह समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही जिन मामलों में विवाद समाप्त होने की कोई गुंजाइश न हो उन मामलों का निपटान जल्दी हो सकेगा।

आपसी सहमति से तलाक का निपटान जल्द होने से प्रक्रिया के कारण मानसिक तनाव , आर्थिक खर्च और समय को कम करता है।

yojnaias.com

स्रोत

Indian Express

Gunjan Joshi

मृत्युदण्ड

संदर्भ- हाल ही में बेअंत सिंह हत्या केस में बब्बर खालसा के आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना को प्राप्त मृत्युदण्ड की सजा को कम करने अथवा आजीवन कारावास देने के लिए याचिका दायर की गई किंतु न्यायालय ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया गया।

बेअंत सिंह हत्या केस –
बेअंत सिंह 1995 को 12 अन्य लोगों के साथ चंडीगढ़ में आत्मघाती हमले में मारे गए। राजोआना को 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। SGPC ने मार्च 2012 तक उसकी ओर से दया याचिका दायर की। 2019 में भी MHA ने मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्ताव दिया गया था किंतु न्यायालय में यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

बब्बर खालसा-
बब्बर खालसा इंटरनेशनल भारत में स्थित एक खालिस्तान संगठन है। बब्बर खालसा की स्थापना 1978 में की गई थी। 1980 में इस संगठन का नेता सुखदेव सिंह बब्बर था। जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र सिख राज्य (**खालिस्तान**) की स्थापना करना था, जिस कारण भारत में इसे आतंकवादी संगठन माना जाता है, जबकि इसके अनुयायी इसे प्रतिरोधी दल कहते हैं। इस संगठन ने पंजाब विद्रोह 1980 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संगठन को भारत समेत कई यूरोपीय देशों ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है।

भारत में मृत्युदण्ड की स्थिति
किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता की पुष्टि कर उसे दण्ड दिया जाता है। अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधी को मृत्युदण्ड दिया जाता है। भारत में निम्नलिखित प्रावधानों के तहत ही मृत्युदण्ड दिया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत धारा 299, धारा 300, धारा 302, धारा 304 के अंतर्गत आने वाले अपराध को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है और निम्न अपराधों पर ही मृत्युदण्ड दिया जा सकता है-

- हत्या,
- धन के लिए हत्या (दहेज हत्या)
- अपहरण, दासत्व, बलातश्रम आदि
- गर्भपात, बलात्कार आदि।

आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2013 में सामूहिक बलात्कार को भी मौत की सजा दी गई है।
आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 के अनुसार 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मृत्युदण्ड की सजा दी जा सकती है।
विस्फोटक पदार्थ संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 3(B) के तहत किसी आतंकवादी घटना में किसी विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग से हुई मौतों को भी जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। जिसमें मृत्युदण्ड दिया जा सकता है।

मृत्युदण्ड की सजा का न्यूनीकरण-
अनुच्छेद 72– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दिए गए दण्ड को कम या समाप्त करने की शक्ति है, यह शक्ति कुछ सीमित मामलों में दी जाती है जैसे-

- सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डादेश
- कार्यपालिका की शक्ति के किसी विधि के विरुद्ध अपराध
- मृत्युदण्ड के केस में।

राष्ट्रपति को अपनी इस शक्ति या अधिकार का प्रयोग, केंद्रीय मंत्रीमण्डल की सलाह पर करना होता है।
- राज्य स्तरीय कुछ मामलों में राज्यों के राज्यपाल को सजा को कम करने की शक्ति दी गई है।

शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 केस में न्यायालय ने **मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलने** के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसका प्रयोग राजीव गांधी हत्याकांड केस में लागू किया गया था, जिसमें राजीव गांधी के हत्यारों को दिए गए मृत्युदण्ड से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस प्रकार कई मामलों में मृत्युदण्ड को खारिज कर अपराधियों को आजीवन कारावास दिया गया था। जैसे-

तेलंगाना हाइकोर्ट केस- तेलंगाना हाइकोर्ट ने 2019 में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के केस में तीन आरोपियों को दिए गए मृत्युदण्ड को कम कर अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

वार्षिक मृत्युदण्ड रिपोर्ट 2022 के बढ़ते आंकड़ों के कारण उच्च न्यायालय ने मृत्युदण्ड को देश में कम करने के निर्देश दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में कुल 165 अपराधियों को मृत्युदण्ड की सजा दी गई थी, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 145 था।

स्रोत

Indian Express
LIVE LAW

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com